HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 27TH DECEMBER, 2022 AT 11.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. CALLING ATTENTION NOTICE

(i) <u>Calling Attention Notice No. 17</u> notice given by Smt. Kiran Choudhry, MLA

regarding recruitment through Haryana Kaushal Rozgar Nigam in the State.

Calling Attention Notice No. 28

notice given by **Shri Balraj Kundu, MLA,** clubbed with Admitted Calling Attention Notice No.17.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 17.

Short Duration Discussion Notice No. 2.

notice given by:-

- 1. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA
- 2. Shri Varun Chaudhary, MLA
- 3. Shri Aftab Ahmed, MLA

converted into **Calling Attention Notice No. 42** and clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 17

The Hon'ble Members may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 17.

(ii) Calling Attention Notice No. 20

notice given by:-

- 1. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA,
- 2. Shri Varun Chaudhary, MLA
- 3. Shri Subhash Deshwal, MLA

regarding wrong data collected by the Government in formation of new property ID.

Calling Attention Notice No. 22

notice given by **Shri Jagbir Singh Malik, MLA**, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No.20.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 20.

Calling Attention Notice No. 32

notice given by **Shri Neeraj Sharma**, **MLA**, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No.20.

The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 20.

III. PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) FOR THE YEAR 2022-2023 AND THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE THEREON THROUGH NEVA PORTAL.

(i) THE FINANCE MINISTER

to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2022-2023.

(ii) THE CHAIRPERSON, ESTIMATES COMMITTEE

to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2022-2023.

IV. <u>SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 2022-2023 (THROUGH NEVA PORTAL).</u>

1. Discussion on the Estimates of expenditure charged on the revenue of the State.

2. Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants.

2.	Discussion and	voting on the Demands for Supplementary Grants.	
Demand No. 1	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹13,20,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 1-2
Demand No. 2	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹10,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 3-4
Demand No. 3	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹23,50,000/- for Revenue expenditure and ₹1,00,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 3-General Administration/Elections.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 5-8
Demand No. 5	A MINISTER	₹3,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 5- Home/Prisons/Home Guard and Civil Defence/ Administration of Justice (High Court/Prosecution/AGOT/Legal Services Authority).	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 9-12
Demand No. 10	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹68,07,00,000/- for Revenue expenditure and ₹8,09,60,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 10- Mines and Geology /Agriculture/ Horticulture/Animal Husbandry and Dairy Development/Fisheries/ Forest & Wildlife/ Ecology and Environment.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 13-21
Demand No. 11	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹2,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 11-Food and Supplies/ Cooperation.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 22-24
Demand No. 12	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹345,01,00,000/- for Revenue expenditure and ₹30,00,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 12-Education (Higher/Secondary/Elementary)/Technical	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 25-30

Education/ Women and Child Development.

Demand No. 13	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹3,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 13-Sports and Youth Welfare/Art and Culture/Tourism.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 31-34
Demand No.14	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 14-Health/DMER/AYUSH/ESI/FDA.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 35-36
Demand No. 15	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹3,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 15- Labour/Employment/Skill Development & Industrial Training.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 37-40
Demand No. 16	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹3,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 16-Welfare of SCs & BCs/Social Justice & Empowerment/Welfare of Ex-Servicemen.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 41-44
Demand No. 17	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹208,69,00,000/- for Revenue expenditure and ₹350,00,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2023 in respect of Demand No. 17- Buildings and Roads/ Transport/ Civil Aviation.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 45-49
Demand No. 18	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹1,00,000/- for Revenue expenditure and ₹148,00,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 18- Information and Publicity, Electronics & Information Technology, Printing & Stationery.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 50-52
Demand No. 19	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹130,01,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 19-Irrigation/Industries & Commerce/ MSME/Supplies & Disposal/Power and Renewable Energy/Science & Technology.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 53-56
Demand No. 20	A MINISTER	to move that a supplementary sum not exceeding ₹100,07,00,000/- for Revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31 st March, 2023 in respect of Demand No. 20-Urban Development (Town & Country Planning/ Urban Estates)/ Local Government (ULB & Fire Services)/ Rural & Community Development (Rural Development/ Development & Panchayats)/ Public Health Engineering.	Supplementary Estimates 2022-23 (2 nd Installment) Page 57-65

V. <u>LEGISLATIVE BUSINESS.</u>

(Bills for consideration and passing)

1. The Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
		Also to move that the Bill be passed.
3. The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
		Also to move that the Bill be passed.
4. The Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
		Also to move that the Bill be passed.
5. The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second	A MINISTER	to move that the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once;
Amendment Bill, 2022		Also to move that the Bill be passed.
6. The Faridabad Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Faridabad Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
		Also to move that the Bill be passed.
7. The Gurugram Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Gurugram Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
		Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH: THE 26TH DECEMBER, 2022. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे प्रात: विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

- I. <u>प्रश्न</u>
- II. पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।
- III. <u>ध्यानाकर्षण स्चना</u>
 - (i) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-17

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28
श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा दी गई
सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या
17 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अल्पाविध चर्चा सूचना संख्या 2 जिसकी सूचना :-

- 1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,
- 2. श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए.;
- 3. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.; द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 में परिवर्तित कर दी गई तथा स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

- (ii) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20
- 1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,
- 2. श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए.;
- 3. श्री सुभाष देशवाल, एम.एल.ए.

द्वारा नई प्रोपर्टी आईडी को बनाने में सरकार द्वारा एकत्र किए गए गलत डेटा से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लबंड कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना 20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

- नेवा पोर्टल के माध्यम से 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) तथा IV. <u>उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u>।
 - (i). वित्त मंत्री 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
 - (ii). चेयरपर्सन, 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्त्त करेंगे।
- 2022-2023 के अनुप्रक अनुमान (द्वितीय किस्त) (नेवा पोर्टल के माध्यम से) V.
 - 1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
 - 2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹13,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 1-	2022-23
1		विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त	(द्वितीय किस्त)
4		होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को	पृष्ठ संख्या 1-3
		चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	
			P and the second

मांग	एक	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	राजस्व खर्च के लिए ₹10,00,000/- से अधिक न हो,	2022-23
2	,	मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में	(द्वितीय किस्त)
	-	31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान	पृष्ठ संख्या ४-६
		के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल	*
	-	को अनुदान की जाए।	
मांग	एक	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	राजस्व खर्च के लिए ₹23,50,000/- तथा पूंजीगत खर्च	2022-23
3		के लिए ₹1,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या	(द्वितीय किस्त)
	e e	3-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023	पृष्ठ संख्या 7-11
		को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने	· · ·
		वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की	-
		जाए।	
मांग	एक	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग	2022-23
5	ę	संख्या 5-गृह /कारागार / गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा / न्याय	(द्वितीय किस्त)
	A1.	प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी	पृष्ठ संख्या 12-16
	ž	सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को	
		समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले	
	×	खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की	
		जाए।	
मांग	एक	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	राजस्व खर्च के लिए ₹68,07,00,000/- तथा पूंजीगत	2022-23
10	2	खर्च के लिए ₹8,09,60,000/- से अधिक न हो, मांग	(द्वितीय किस्त)
		संख्या 10-खानएवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन	पृष्ठ संख्या
		तथा डेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य	17-27
		प्राणी/परिस्थितिकि विज्ञान तथा पर्यावरण के सम्बन्ध	*
		में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान	
		के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल	
		को अनुदान की जाए।	
L	I		

मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 11-	2022-23
11	=	खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च,	(द्वितीय किस्त)
=		2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में	पृष्ठ संख्या
		आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान	28-31
2		की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹345,01,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए	2022-23
12	. %	₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12-	(द्वितीय किस्त)
		शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/ प्राथमिक)/तकनीकी	पृष्ठ संख्या
	5	शिक्षा/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च,	32-38
		2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में	
		आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान	
	. 3	की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 13-	2022-23
13		खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एव संस्कृति/ पर्यटन के	(द्वितीय किस्त)
		सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष	पृष्ठ संख्या
		के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के	39-43
×		लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 14-	2022-23
14		स्वास्थ्य / डीएमईआर / आयुष /ईएसआई / एफडीए के	(द्वितीय किस्त)
		सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष	पृष्ठ संख्या
) N 2	w **	के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के	44-46
×.		लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-	2022-23
15		अम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के	(द्वितीय किस्त)
		सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष	पृष्ठ संख्या
		के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के	47-50
14 x		लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	
***************************************			L

मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 16-	2022-23
16	2 20 -	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक	(द्वितीय किस्त)
		न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के	पृष्ठ संख्या
		सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष	51-55
		के भ्गतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के	_
		लिए राज्यपाल को अन्दान की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹208,69,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए	2022-23
17		₹350,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-	(द्वितीय किस्त)
2	*	भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन के सम्बन्ध में	पृष्ठ संख्या
1	5	31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान	56-62
	,	के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल	,
		को अनुदान की जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए	2022-23
18	= *	₹148,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 18-	(द्वितीय किस्त)
P		सूचना तथा प्रचार / इलैक्टरोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	पृष्ठ संख्या
		मुद्रण तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023	63-66
		को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने	
		वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की	
		जाए।	
मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹130,01,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या	2022-23
19	30 30	19-सिंचाई/उधोग और वाणिज्य/एम एस एम ई/आपूर्ति	(द्वितीय किस्त)
=	2	तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान	पृष्ठ संख्या
		और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को	67-71
		समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले	
		खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	

मांग	एक	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च	अनुपूरक अनुमान
संख्या	मंत्री	के लिए ₹100,07,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या	2022-23
20		20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/षहरी	(द्वितीय किस्त)
		सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय एवं	पृष्ठ संख्या
		अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास	72-81
		(ग्रामीण विकास/विकास और पंचायत)/जनस्वास्थ्य	
		अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त	
		होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को	
		चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	

VI. <u>विधायी कार्य</u>

(विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा श्री माता एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी भीमेश्वरी देवी मंदिर मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक पर तुरन्त (आश्रम), बेरी पूजा स्थल

विधेयक, 2022.

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

2. हरियाणा पंचायती राज एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2022. विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

- 3. हरियाणा ग्रामीण विकास एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
- 4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

5. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

> यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

6. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त

विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

7. गुरुग्राम महानगर विकास एक मंत्री प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रस्ताव करेंगे कि गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:

26 दिसम्बर, 2022

राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।